UPET010078912025

<u>न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः दिनेश चन्द, 'एच0जे0एस0'

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

<u>दांडिक प्रकीर्ण वाद सं0—945/2025</u>

निरोत्तम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य आदि।

<u>03.04.2026</u>

पुकारा गया। पुकार पर आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये तथा विपक्षी संख्या 2 राजू पर तामील पर्याप्त है परन्तु न्यायालय में अनुपस्थित है। विपक्षी संख्या 1 के रूप में विद्वान डी0जी0सी0 (क्रिम0) उपस्थित आये।

प्रार्थना—पत्र 5ब, अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया।

आवेदक की ओर से प्रार्थना—पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय के समक्ष उपरोक्त नाम पते से एक आपराधिक रिवीजन प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04.09.2025 अवर न्यायालय (सी०डि०) जलेसर एटा के प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कामयाबी की पूरी—पूरी उम्मीद है। आवेदक विगत दिनों बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रश्नगत आदेश के सम्बन्ध में नकले प्राप्त नहीं कर सका, जिस कारण रिवीजन प्रस्तुत करने में कुछ देरी हुई है, जो क्षमा किये जाने योग्य है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक रिवीजन आवेदक को जानकारी/नकले प्राप्त होने 3 से अन्दर म्याद है, फिर भी राय अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में यदि देरी है, तो क्षमा किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। न्यायहित में आवेदक का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदक द्वारा प्रार्थना किया गया है कि उसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—5 म्याद अधिनियम मंजूर कर उपरोक्त रिवीजन के प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत् आदेश दिनांक 04.09.2025 की जानकारी होने के उपरांत दिनांक 25.11.2025 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु नकल सवाल डलवाया गया तथा दिनांक 25.11.2025 को ही आदेश की प्रति प्राप्त होने पर दिनांक 05.12.2025 को यह आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने की मियाद 90 दिवस है। यदि आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये लगी समयावधि को दृष्टिगत रखा जाता है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत दांण्डिक निगरानी लगभग तीन दिन विलम्ब से योजित की गयी है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण—दोष के आधार पर किया

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.04.03 17:04:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है।

विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर सुनवाई करते समय न्यायालय को नर्म रूख़ अपनाना चाहिए। प्रार्थना–पत्र में विलम्ब का कारण प्रश्नगत आदेश की जानकारी न होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मत है कि निगरानी दाखिल करने में जो देरी हुई है, वह सद्भाविक है तथा माफ किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र 5ब हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 5ब मु0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दांडिक निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

अधिरोपित हर्जा नियत तिथि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा में जमा किया जाये।

तदोपरांत निगरानी अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.04.2025 को पेश हो।

(दिनेश चन्द)
<u>दिनांक: 03.04.2026</u> सत्र न्यायाधीश, एटा
JO Code UP 6538